

## भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone

जी. एस. टी. भवन, तेलंगखेड़ी मार्ग / G.S.T. Bhawan, Telangkhedi Road सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 / Civil Lines, Nagpur - 440001 Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in

F.No. GCCO/II/(3)/38/2025-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-NAGPUR



Dated: [Date of Digital Signature]

## स्थापना आदेश क्रमांक. 22/2025 ESTABLISHMENT ORDER NO. 22/2025

सीजीएलई 2024 के परिणाम के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवार के आवंटन के संबंध में उपायुक्त (सीसीए), सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मुंबई क्षेत्र द्वारा जारी पत्र दिनांक 19-05-2025 के परिणामस्वरूप, सीजीएसटी नागपुर क्षेत्र (नासिक स्थित आयुक्तालय) के निरीक्षक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेश दिया जाता है: -

Consequent to the letter dated 19-05-2025 issued by the Deputy Commissioner (CCA), CGST Central Excise & Customs, Mumbai Zone regarding allocation of candidate recommended on the basis of result of CGLE 2024 the following transfer and posting in the grade of Inspector of CGST Nagpur Zone (Nashik based Commissionerates) is hereby ordered with immediate effect and till further orders:-

S.N.	Name of the officer (Shri/Smt/Ms)	Designation	From	То
1.	Sonu Soni	Inspector	CGST Nashik	Audit Nashik
				(Nashik Chapter)
2.	Vaijesh Avinash Kotwal	Inspector	CCO Nagpur	CGST Nashik

2. आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा की जाएगी।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerate will be made by jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner.

 इस जोन में अब तक कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को इस स्थापना आदेश के जारी होने की तिथि से इस कार्यालय से मुक्त माना जाता है।

The officers who have joined till date in this zone are hereby stand relieved from this office, from the date of issuance of this Establishment Order.

4. इसके अलावा, सीजीएसटी नासिक से अनुरोध है कि वे अपने आयुक्तालय से एक अधिकारी को सीजीएसटी और सी.एक्साइज, मुंबई क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय, जीएसटी भवन, 115, महर्षि कर्वे रोड, सामने चर्चगेट स्टेशन मुंबई-400020 से सीजीएसटी नासिक आयुक्तालय को आवंटित उम्मीदवारों के दस्तावेज एकत्र करने के लिए नियुक्त करें।

Further, it is requested to the CGST Nashik to depute an officer from their commissionerate

to collect dossiers of candidates allocated to CGST Nashik Commissionerate from Office of the Principal Chief Commissioner of CGST & C.Excise, Mumbai Zone, GST Bhawan, 115, Maharshi Karve Road, Opp. Churchgate Station Mumbai-400020.

5. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(Ravi Jarpula) Joint Commissioner (CCO)

## Copy to:

 प्रधान मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई जोन को कृपया सूचना हेत्।

The Principal Chief Commissioner, CGST, Customs & Central Excise, Mumbai Zone, for kind information please.

- 2. आयुक्त, सीमा शुल्क नागपुर, सीजीएसटी नासिक, ऑडिट नासिक, अपील नासिक और सीजीएसटी औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
  The Commissioner, Customs Nagpur, CGST Nashik, Audit Nashik, Appeals Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for information and necessary action please.
- 3. अपर / संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क चैप्टर सेल, नासिक तथा सीमा शुल्क चैप्टर सेल, औरंगाबाद को, कृपया सूचना हेतु।

  The Additional / Joint Commissioner, Customs Chapter Cell, Nashik and Customs

Chapter Cell, Aurangabad, for information please.

4. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर जोन / सी.जी.एस.टी. नासिक, लेखा परीक्षा नासिक, अपील नासिक और सी.जी.एस.टी. औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST & Central Excise, CGST Nashik, Audit Nashik, Appeals Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for information and necessary action please.

- 5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद को, कृपया सूचना हेत्।
  - The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nashik/Aurangabad for information please.
- 6. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट

www.cgstnagpur.gov.in से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website <a href="https://www.cgstnagpur.gov.in">www.cgstnagpur.gov.in</a> for his / her records and compliance.

- 7. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-l आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  - The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.
- 8. गार्ड फ़ाइल। Guard File.